33

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 73–दो/ 2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण 501 अ–3/2003–04 अपील

रामेश्वर प्रसाद (मृत) पुत्र हरप्रसाद ब्राहमण
वारिस
1– श्रीमती राधादेवी पत्नि स्व.रामेश्वर
2– राजेश 3– मनोहर पुत्रगण
स्वर्गीय रामेश्वर ब्राहमण निवासी
पावर हाउस के पास, पुरानी टेकरी
टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ ---आवेदकगण

विरूद्ध

हरीनारायण पुत्र स्व.चन्द्रभान ब्राहमण
निवासी बनपुरा खुर्द तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 2- मार्च ,2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 501 अ–3/2003–04 अपील में पारित आदेश दि. 14–12–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायब

तहसीलदार बल्देवगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम बनपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 461/1 रकबा 0.881 हैक्टर उसके एंव 461/2 रकबा 0.942 हैक्टर दामोदर के नाम है जिसकी राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने तरमीम गलत कर दी है , तरमीम दुरूस्ती की जाय। नायव तहसीलदार बल्देवगढ़ ने प्रकरण कमांक 57 अ-3/2001-02 दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18-9-2002 पारित करके राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 63/ 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 7-4-2004 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-9-2002 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 501 अ-3/2003-04 में पारित आदेश दि. 14-12-2005 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 7-4-2004 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-9-2002 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 501 अ-3/2003-04 में पारित आदेश दि. 14-12-2005 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7-4-2004 को इस आधार पर निरस्त किया है

कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 18-9-2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष सात माह वाद अपील प्रस्तुत हुई है जिसे उन्होंने अवधि वाह्य होना माना है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी,टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 7-4-2002 में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 62/03-04 अपील में अपील मेमो के संलग्न अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया गया है जिसमें मृतक रामेश्वर ने अंकित किया है कि तहसील न्यायालय में उसे पक्षकार बनाये बिना नक्शा तरमीम का आवेदन दिया गया है जिसकी जानकारी उसे 23-6-03 को हलका पटवारी से हुई है। उसके व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया गया कि तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण कमांक 2 अ 27/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 28-2-1994 से उसके एंव अनावेदक के बीच बटवारा हुआ है और बटवारा कार्यवाही उपरांत नक्शा तरमीम हो चुका है तथा नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 52 अ-12/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2002 से सीमांकन भी स्वीकृत हुआ है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है, परन्तु अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण कमांक 2 अ 27/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 28-2-1994 का एंव नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 52 अ-12/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2002 का तथ्य उल्लेखित होते हुये भी इन्हें नजरन्दाज करके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को मात्र अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त करने में भूल की है ,

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने भी नायव तहसीलदार के आदेश को सीधे निरस्त कर पूर्व की स्थिति में नक्शा पहुंचाने में त्रुटि की है क्योंकि उभय पक्ष के बीच भूमि की चर्तुसीमाओं का विवाद पूर्ववत् बना रहेगा, जिसके कारण नायव तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 57 अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 18-9-2002 तथा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 63/ 2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2004 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 501 अ-3/2003-04 अपील में पारित आदेश दि. 14-12-2005 परस्पर अपूरक पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बल्देवगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधीक्षक, भू अभिलेख के अधीन दल गठित कर उभय पक्ष की भूमि की स्थल पर पैमायश करायें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार पुनः विधिवत् कार्यवाही अमल में लायें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर